कोर्ट फी Re.1 INDIA एक रुपया ONE RUPEE (court fee stamps ×5)

(50)

न्यायालयः माननीय आयुक्त महोदय, संभाग ग्वालियर,

PBR/अपील/ग्वालियर/भू०रा/2018/0275

प्रकरण कमांक /2018–19 अपील

Noted 6/2/18

प्रस्तुत! ... तर्क हेतु दिनांक 6.2.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 9-1-18

1. लक्खीराम पुत्र स्व. श्री वीरबलदास आयु– 52 वर्ष, व्यवसाय– प्रायवेट नौकरी
2. श्रीचन्द्र पुत्र स्व. श्री वीरबलदास आयु– 49 वर्ष, व्यवसाय– कुछ नहीं
3. सरजू उर्फ संजू पुत्र स्व. श्री वीरबलदास आयु– 46 वर्ष, व्यवसाय– प्रायवेट नौकरी, निवासीगण– सिंधी गुरुद्वारे के पास डबरा जिला ग्वालियर म0प्र0

---**अपीलार्थीगण**

बनाम

1. सन्नूलाल पुत्र श्री दिलीप सिंह रावत निवासी– ग्राम मगरौरा, तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा जिला कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर,
3. श्री सतीश आहूजा पुत्र स्व. श्री मूलकराज आहूजा, निवासी– सराफा बाजार, डबरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर म0प्र0
4. श्रीमती ग्यासोबाई पत्नी श्री लज्जाराम, आयु 77 वर्ष, व्यवसाय–गृहकार्य, निवासी–हरीपुर, तहसील डबरा जिला ग्वालियर म0प्र0.................**प्रतिअपीलार्थीगण**

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 44 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता वनाराजी आदेश दिनांक 05.10.2012 जो न्यायालय कलेक्टर जिला ग्वालियर म0प्र0 द्वारा प्रकरण क्रमांक 50/11–12 बी–121 व उनवान सन्नूलाल बनाम म0प्र0 शासन आदि में पारित किया गया और जिसके माध्यम से अन्य सर्वे क्रमांक के साथ–साथ प्रार्थी के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के सर्वे क्रमांक 823 के रकवा को बिना अपीलार्थीगण को सूचना दिये व पक्षकार बनाये कम करने का आदेश पारित किया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/अपील / ग्वालियर / भू.रा. / 2018 / 0275

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–2–2018	अपीलार्थीगण की ओर से श्री विकास सिंघल, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि इस न्यायालय के समक्ष भूलवश अपील प्रस्तुत की गई है, अतः सक्षम न्यायालय प्रस्तुत करने हेतु उन्हें वापिस किया जाये । आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, अतः सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपील वापिस किया जाये । अध्यक्ष	